भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4416
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2014/17 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ

4416. श्री कीर्ति आजाद :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 के अधीन दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के खातों की जांच करने का आदेश दिया है और यदि हां, तो उक्त जांच के अंतर्गत सूचित किए गए मुख्य अपकरण/अभिलेखों में हेराफेरी/कुप्रशासन/व्यतिक्रमण/अनियमितताएं/भ्रष्ट आचरण क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त जांच रिपोर्ट में प्रमुखता से इंगित किए गए कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों का अपालन नहीं किए जाने के लिए डीडीसीए के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), दिल्ली को निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली द्वारा की गई/जा रही कार्रवाई क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने विभिन्न खेल परिसंघों/निकायों के प्रबंधन के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण को अपने अधीन ल ने तथा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पृथक कानून अधिनियमित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 में अभिकल्पित प्रावधानों के अनुसार लाभ अर्जित न करने वाली कंपनी की अप्रत्यक्ष प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए डीडीसीए के निर्वाचन में प्रत्यक्ष मतदान को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और ऐसे प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

...2/-

(ड.) डीडीसीए में अपकरण, कुप्रशासन, अभिलेखों में हेराफेरी, अनियमितताएं, भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाए गए पदधिकारियों को दंडित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के तहत दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की लेखाबहियों व अन्य दस्तावेजों की जांच में लेखांकन मानक 5, 15, 18, 19, 22, 29 और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(3), 285, 299, 303 और 314 के साथ पठित अनुसूची-VI, 211(3क)/(3ग) के साथ पठित धारा 36, 150, 166/210, 209(1), 209(3)(ख), 211 का उल्लंघन पाया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षकों द्वारा धारा 227 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने की ओर भी ध्यान दिलाया गया।

मंत्रालय ने कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली (आरओसी) को धारा 621क के तहत प्रशमन आवेदन दायर करने का अवसर प्रदान करने और ऐसा नहीं करने पर उक्त धारा के तहत कार्रवाई करने के निदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षक से संबंधित मामला भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान को भेजने के निदेश भी दिए गए हैं।

लेखांकन मानक- 15 और 18, 285, 217(3), 303(1) और 314 के साथ पठित अनुसूची-VI, 211(3क)/3(ग) के साथ पठित धारा 36, 166/210, 209(1) के उल्लंघन के लिए, कंपनी और उसकी कार्यकारिणी समिति के तीन सदस्यों ने अपराध प्रशमन के लिए अधिनियम की धारा 621क के तहत आवेदन प्रस्तुत किए हैं।

जिन उल्लंघनों के संबंध में अभी तक प्रशमन आवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, मंत्रालय ने कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को 15 दिन का समय देने का और उसके बाद अभियोजन शुरू करने का निदेश दिया है।

(ग) और (घ): कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के आंतरिक नियमों में प्रावधान होने पर सरकार को प्रोक्सी का उपयोग प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है। वैसे जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद, इस कंपनी में बड़ी संख्या में प्रोक्सी का मामला युवाकार्य एवं खेल मंत्रालय के ध्यान में लाया गया।

(ङ.): मंत्रालय में जांच के निष्कर्ष उचित कार्रवाई के लिए आयकर विभाग और डीडीसीए के नामित निदेशकों को भेज दिए हैं।

*****